बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

आदेश

पटना, दिनांक , **2016**

संख्या–2/आ0–70–08/2014 गृ0आ0 /श्री नुरूल हक, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डुमराँव सम्प्रति अरेराज मोतिहारी के विरूद्ध पुलिस महानिदेशक के आदेश ज्ञापांक–4246/एक्स0पी0 दिनांक 29.11.2013 के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस पटना को उनके कार्यालय में जाकर पुलिस महानिदेशक की ओर से निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था। निरीक्षण के दौरान श्री हक द्वारा पर्यवेक्षण किये गये कांडों में से कुछ कांडों को Random रूप से चिन्हित कर यह देखने का निदेश था कि पर्यवेक्षण घटना स्थल पर जाकर किया गया है अथवा नहीं ? उक्त आदेश के अनुपालन में पुलिस महानिरीक्षक, बि0सै0पु0 पटना ने अपने पत्रांक–213/गो0शा0 दिनांक 16.12.2013 को प्रतिवेदन समर्पित किया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री हक द्वारा किया गया जाँच पुलिस आदेश के विपरित था। यह कार्य श्री हक के कर्त्तव्यहीनता एवं घोर लापरवाही का परिचायक पाया गया।

2. उक्त आरोप के लिए उनके विरूद्ध विभागीय पत्र सं0–5469 दिनांक 02.07.2014 द्वारा पुलिस मुख्यालय को उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर विभाग को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया। पुलिस मुख्यालय के पत्र सं0–4187 दिनांक 01.07.2015 एवं 1309 दिनांक 18.02.2014 द्वारा श्री हक के स्पष्टीकरण के साथ मंतव्य प्राप्त हुआ। जिसकी समीक्षा विभागीय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया।

3. श्री हक के विरूद्ध लगाये गये आरोप इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के तथा पुलिस मुख्यालय के मंतव्य के समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा इन्हें भविष्य के लिए **'सचेत'** करने का निर्णय लिया है।

4. सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री नुरूल हक, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डुमराँव सम्प्रति अरेराज मोतिहारी को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(देव नारायण मंडल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/आ0–70–08/2014 गृ0आ0 /पटना, दिनांक **,2016**

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री नुरूल हक, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डुमराँव जिला–भोजपुर को सम्प्रति अरेराज मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/आ0–70–08/2014 गृ0आ0 /पटना, दिनांक **,2016**

प्रतिलिपिः–पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना उनसे अनुरोध है कि श्री हक की प्रति उन्हें प्राप्त कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/आ0–70–08/2014 गृ0आ0 2536 /पटना, दिनांक 01.04. **,2016**

प्रतिलिपिः–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।